

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

217/2016/75LR

रामकरण वगैरह चान्दा 3rd

तारीख	2016/00217	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख
पेशी	श्री राममुख चौधरी	श्री श्रीरामजी - 10	अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
			श्री SP217/01, 2/17, 4A8, 3

13/12
2

रामकरण वगैरह बनाम चान्दा - वगैरह(217/2016)

पत्रावली वारते आदेशार्थ पेश हुई। अग्निभाषक अपीलांत एवं अग्निभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 10 उपरिथत। प्रार्थना पत्र पर अग्निभाषक उभयपक्ष को दिनांक 06.12.2022 को सुना गया।

अग्निभाषक अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में उक्ति आराजीयात के सम्बन्ध में आवंटन अधिकारी, द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरुद्ध अपीलांत के पिता स्वर्गीय चतुर्भुज पुत्र अमरा के द्वारा अपील संख्या 151/1980, 152/1980, 153/1980 बउनवानी चतुर्भुज बनाम मोतीलाल, सुवालाल व मूला एवं अन्य प्रस्तुत की थी जिसका निरस्तारण मान्नीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 03.02.1981 को होने के सम्बन्ध में उपरोक्त बउनवानी अपील संख्या 2017/2016 के अग्निभाषक द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.11.2022 को जवाब मयाद प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा दी. प्रस्तुत करने के पश्चात प्रार्थीगण/अग्निभाषक द्वारा दिनांक 15.11.2022 को मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन कर दिनांक 17.11.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई है कि अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध पूर्व में प्रार्थीगण के पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीले प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.1981 के विरुद्ध प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुतोप प्राप्ति हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उपरोक्त अपील प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त बउनवानी अपील सशर्त प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करवाने की कृपा करवाये।

अग्निभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 10 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष समान मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरुद्ध वर्तमान अपीलांत के पिता द्वारा संस्थित पूर्ववर्ती तीनो अपीले क्रमशः अपील संख्या 151/1980, 152/1980, 153/1980 बउनवानी चतुर्भुज बनाम मोतीलाल, सुवालाल व मूला एवं अन्य प्रस्तुत की थी जिसे दिनांक 03.02.1981 की जानकारी उक्त निर्णय के रोज से वर्तमान अपीलांत को होना मानी जायेगी, क्योंकि उक्त अपीलों उसके पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी एवं पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 03.02.1981 से वर्तमान अपीलांत प्रश्नगत अपील समान मूल आवंटन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत करने से पूर्णतया विबंधित है तथा उक्त पूर्ववर्ती निर्णय से जब अपीलांत के पिता को ही मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरुद्ध अपील पेश करने की अनुमति मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं की गई है तो ऐसी विधिक स्थिति में प्रश्नगत विचाराधीन अपील में पूर्ववर्ती अपीलों के विरुद्ध चाराजोही करनी की स्वतंत्रता माननून प्रदत्त नहीं की जा सकती है इसलिए प्रश्नगत अपील को साधारण तौर पर विद्धो करने की अनुमति प्रदत्त की जाना न्यायोचित है न कि सशर्त विद्धो की अनुमति दी जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील प्रत्याहरण की अनुमति बाबत दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अग्निभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर गनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण को आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 की अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलांतस को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त तथ्य की जानकारी अग्निभाषक रेस्पोजेन्टस के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र से हुई है प्रार्थी का अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई दुभारवना

गजम्ब अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

217/2016/756K

राममुख चौधरी

तारीख

2016/00217

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

21/3/17 अजी-10

न. व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

पेशी


श्री राममुख चौधरी

श्री

SP 217/01, 2/17, 4A-8, 9

लगातार नहीं रही है इसलिए न्यायहित में 2,000 रुपये कोर्ट पर शर्त प्रत्याहरण की अनुमति
दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अपील प्रत्याहरण की अनुमति हेतु को 2,000/-रुपये कोर्ट पर
शर्त प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती है। अभिभाषक अपीलान्त उक्त कोर्ट अभिभाषक
रेस्पोजेन्टस को दें। पत्रावली फौरन शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर